भारतीय मानक ब्यूरो

(हॉलमार्किंग विभाग)

हमारा सन्दर्भ: एचएमडी- 14:2 07 मार्च, 2022

विषय: बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2022 , अधिसूचना

1. यह उपर्युक्त विषय के संदर्भ में है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या बीएस/11/05/2018 दिनांक 04 मार्च 2022 के तहत प्रकाशित किया गया है। इस की प्रति संलग्न है।

3. यह आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख यानी 04 मार्च 2022 से लागू होगा।

4. सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रस्तुत ।

(इंदरजीत सिंह)
वैज्ञानिक -डी'/एचएमडी

प्रमुख, एचएमडी

इंट्रानेट के माध्यम से परिचालित

सभी एच.एम.ओ
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों,
सभी उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)
अन्य सभी संबंधित पक्ष

Bureau of Indian Standards
(Hallmarking Department)

Our Ref: HMD-14:2 **07 March 2022**

Subject: Notification of the BIS (Hallmarking) Amendment Regulations, 2022

1. This has reference to the above mentioned subject.

2. In this regard it is intimated that the BIS (Hallmarking) Amendment Regulations, 2022 have been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. BS/11/05/2018 dated 04 March 2022. Copy of the same is attached herewith.

3. The same shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette i.e. 04 March 2022.

4. Submitted for information and compliance please.

(Inderjeet Singh)
Scientist-D/HMD

Head, HMD

Circulated through intranet:
All HMOs
All DDGRs
All BOs/ROs
All other concerned

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233929
CG-DL-E-04032022-233929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943
No. 123]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

फा. सं. बीएस/11/05/2018.—ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 13 और धारा 14 के साथ पठित धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 में अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची IV

(विनियम 10 का उप-विनियम (10) देखें)

हॉलमार्किंग फीस

1. (क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यताप्राप्त असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र को सोने की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग फीस:

(i) प्रति वस्तु 45/- रुपए; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस 200/- रुपए

(ख) ब्यूरो द्वारा असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से सोने की वस्तुओं के लिए ली जाने वाली हॉलमार्किंग फीस:

(i) प्रति वस्तु 4.50/- रुपए; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस 20/- रुपए

2. (क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यताप्राप्त असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को चांदी की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग फीस:

(i) प्रति वस्तु 35/- रुपए; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस 150/- रुपए

(ख) ब्यूरो द्वारा असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से चांदी की वस्तुओं के लिए ली जाने वाली हॉलमार्किंग फीस:

(i) प्रति वस्तु 3.50/- रुपए; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस 15/- रुपए

टिप्पण: उपरोक्त के अलावा प्रचलित दरों के अनुसार लागू कर लगाए जाएंगे।"

स्मिता जी नायर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./676/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा. सं. बीएस/11/05/2018 तारीख 14 जून, 2018 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात फा. सं. बीएस/11/05/2018, तारीख 12 अक्तूबर, 2018 और फा.सं. बीएस/11/05/2018 तारीख 27 अक्तूबर, 2021 द्वारा संशोधन किए गए थे।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

F. No. BS/11/05/2018.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 13 and 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule IV

(refer sub-regulation (10) of regulation 10)

Hallmarking Fee

1. (a) Hallmarking fee for gold articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be:

(i) Rs. 45/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 200/-.

(b) The hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying and Hallmarking Centre for gold articles shall be:

(i) Rs. 4.50/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 20/-.

2. (a) Hallmarking Fee for silver articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be :

(i) Rs. 35/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 150/-.

(b) The hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying and Hallmarking Centre for silver articles shall be:

(i) Rs. 3.50/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment Rs. 15/-.

Note: applicable taxes as per prevalent rates shall be levied in addition to the above."

SMITHA G. NAIR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./676/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F. No. BS/11/05/2018 dated the 14th June, 2018 and subsequently amended *vide* F. No. BS/11/05/2018 dated the 12th October, 2018 and F. No. BS/11/05/2018 dated the 27th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.04 22:48:44 +05'30'